दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 01 अक्टूबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 06

महत्वपूर्ण एवं खास

महिला आरक्षण विधेयक बन गया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आधी आबादी से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर; हथियार समेत 2100 पाकिस्तानी रुपए बरामद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों ने शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया है। कुपवाड़ा पुलिस के दिए गए एक खुफिया इनपुट के आधार पर, माछिल सेक्टर के कुमकाडी इलाके में सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल से अब तक दो एके राइफल, चार एके मैगजीन, 90 राउंड, एक पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल, एक थैली और पाकिस्तानी मुद्रा में 2,100 रुपये बरामद किए गए हैं।

दिल्ली में एनआईए ने आईएसआईएस आतंकियों की तलाश में की छापेमारी, तीन लाख रुपए रखा इनाम

नई दिल्ली (आरएनएस)। एनआईए ने दिल्ली में आईएसआईएस आतंकियों की तलाश में छापेमारी शुरु कर दी है। आतंकियों के दिल्ली में छिपे होने की खबर है। जानकारी के अनुसार, आतंकियों के नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ शैफी उज्जमा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्लाह फयाज शैख हैं। एनआईए ने इनपर 3 लाख रुपये का इनाम रखा है। पिछले दिनों एनआईए ने गैंगस्टर और खलिस्तानी-आतंकियों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए देश के कई राज्यों में छापेमारी की थी। गैंगस्टरों की तलाश में एनआईए ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड के 50 से ज्यादा इलाकों में छापेमारी की थी। एनआईए ने यह कदम आतंकवादियों और ड्रग्स डीलर्ज के बीच साठगांठ को खत्म करने के मकसद से उठाया। दरअसल, भारत में बैठे आतंकी मददगार विदेशों में रहे रहे आतंकियों और गैंगस्टरों को हवाला चैनल के माध्यम से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं।

चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, सेना में शामिल होंगे 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स 'प्रचंड' की मांग रखी है। माना जा रहा है कि वायुसेना की इस मांग को जल्द ही स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इससे वायु सेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी 156 हेलीकॉप्टर स्वदेशी होंगे। सभी 'प्रचंड' हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। सेना के कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनेमी एयर डिफेंस, काउंटर इनसर्जेंसी ऑपरेशन व रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट को धराशाई करने में प्रचंड हेलीकॉप्टर खासे मददगार हैं।

यह हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में भी काफी सहायक हैं। इस पर 700 किलोग्राम तक के हथियार फिट किए जा सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 268 किमी प्रतिघंटा है और रेंज 550 किमी है। जानकारी के मुताबिक, 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट 'प्रचंड' हेलीकॉप्टर में से 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिल सकते हैं, और 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलेंगे।

फिलहाल अभी वायु सेना व थल सेना दोनों के पास कुल मिलाकर केवल 15 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के पास हैं और पांच हेलीकॉप्टर थल सेना के पास हैं। भारतीय सेनाओ ने अपने इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के निकट तैनात किया है।

जानकारी के मुताबिक, अब नए हेलीकॉप्टर आएंगे, उन्हें भी चीन-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टरों के साथ युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। रक्षक विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की सीमा के पास इसका पहला स्क्वॉड्रन तैनात है। यही कारण है कि अब भारतीय सेना के जवानों के लिए पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है।

रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इन हेलीकॉप्टर की मदद से आर्म्ड फोर्सज को घुसपैठ की वारदातों पर लगाम लगाने में मदद मिली है। बेंगलुरु में एलसीएच का पहला स्क्वॉड्रन बनाया जा चुका है। इन हेलीकॉप्टरों को सात अलग-अलग यूनिटों के अंतर्गत सात अलग-अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा।

हेलीकॉप्टर में दो लोग बैठ सकते हैं। पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5,800 किलोग्राम है। लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने की क्षमता है। यह 16,400 फीट तक की ऊंचाई पर टेकऑफ कर सकता है। हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें 20 मिमी की तोप भी हैं। इसके साथ ही इसमें चार हार्डप्वाइंट्स हैं। जिसके कारण हेलीकॉप्टरों में रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं।

दर्दनाक हादसा : निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से लिफ्ट गिरी, तीन लोगों की मौत

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा बीती देर रात झवेरी ग्रीन कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ है। यहां निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल पर पालकी (मजदूरों वाली लिफ्ट) टूट गई, जिससे तीन मजदूर नीचे गिर गए। घायल मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद निर्माण स्थल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, इस घटना की जिम्मेदार कौन है, इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा।

नाबालिक ने अपने दादा को बनाया कंगाल, ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल पर खाते से खर्च कर दिए 13 लाख रुपए

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात में दाहोद पुलिस ने ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक नाबालिग लडक़े ने अपने दादा के बैंक खाते से 13 लाख रुपये खर्च कर दिये। अधिकारी ने कहा कि नाबालिग ने उन पैसों को ऑनलाइन गेमिंग और हाई-एंड मोबाइल फोन खरीदने पर खर्च किये। मामले की अभी जांच चल रही है।

नाबालिग के दादा ने शिकायत दर्ज कराई थी जो एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। हाल के दिनों में अपने बैंक खाते से कई किस्तों में 13 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी देखकर उन्हें संदेह हुआ। ऑनलाइन गेमिंग के अलावा उसने इन पैसों से एक क्रिकेट किट और दो हाई-एंड मोबाइल फोन खरीदे थे, जिन्हें उसने अपने एक दोस्त के घर पर छिपाकर रखा था ताकि परिवार में किसी को भनक न लगे।

यह महसूस करते हुए कि ये लेनदेन उनके स्वयं के नहीं थे, दादा ने दाहोद पुलिस के साइबर सेल से सहायता मांगी। पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि खरीदारी किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पोते ने की थी। नाबालिग लडक़े ने ऑनलाइन गेमिंग की अपनी लत के कारण बड़ी रकम बर्बाद करने की बात स्वीकार की है। लडक़े ने पैसे के अनधिकृत लेनदेन के लिए अपने दादा के फोन का भी इस्तेमाल किया था।

कावेरी विवाद : कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करेगी सरकार

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के पास पानी नहीं है, इसलिए वह इसे तमिलनाडु को नहीं दे सकता। सीएम सिद्दारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक के बाद अपने गृह कार्यालय 'कृष्णा' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने जनता को उनके सहयोग के लिए और संगठनों को शांतिपूर्ण बंद सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी।

उन्होंने उन अधिकारियों की भी सराहना की जिन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा, ताकि राज्य में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। सीएम ने बताया कि बैठक में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पूर्व महाधिवक्ता ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ राय और सुझाव दिये हैं। उनके सुझावों पर विचार करके आगे निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को विशेष रूप से राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाने, डेटा संग्रह और सलाहकार कार्य करने का सुझाव दिया गया है। समिति को अंतरराज्यीय जल विवादों के बारे में सरकार को सलाह देनी चाहिए और कानूनी टीम को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तमिलनाडु को 3,000 क्यूसेक पानी छोडऩे के संबंध में दोनों समितियों के समक्ष दलील दी गई कि कर्नाटक पानी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पास पानी नहीं है। सीएम ने कहा कि उन्होंने क ावेरी बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का भी सुझाव दिया है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मेकेदातु योजना के लिए अपनी मांग तेज करेगी और दलील देगी कि तमिलनाडु को इससे कोई समस्या नहीं होगी।

मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय की भंडारण क्षमता 67 टीएमसी होगी, जिसका उपयोग बिजली और पीने के पानी के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सलाह दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो तो तमिलनाडु को पानी छोड़ा जा सकता है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा। एक सवाल में उन्होंने कहा कि कोर्ट की अवमानना तभी होगी जब जानबूझकर आदेश की अवहेलना की जाएगी।

उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए आयोजित किए जाएंगे प्रेसिडेंशियल अवार्ड : दिल्ली के विवांता होटल द्वारका में 3 अक्टूबर को होगा आयोजन

0 ये अवार्ड उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं जो राष्ट्र के परिदृश्य के निर्माण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2023 का आयोजन 3 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका स्थित विवांता होटल में किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2023 उन व्यक्तियों और संगठनों के सपनों की शक्ति का उत्सव है जिन्होंने अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करने का साहस किया है। यह पुरस्कार बैनियांन ट्राइब बिजनेस कम्युनिटी, ब्लैंकी क्रिएटिव एजेंसी और स्ट्रेट एंगल मीडिया की एक संयुक्त पहल है। इन संगठनों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों की अनकही कहानियों को साझा करना है, जो नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2023 भारत के संपन्न एमएसएमई, एथलीट्स, सशस्त्र बलों, सार्वजनिक सेवाओं, परोपकारियों और सभी व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने वालों के अथक जज्बे को समर्पित है।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. दीपा मलिक हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया की एक महान हस्ती हैं, जो सब कुछ संभव है शब्द का उदाहरण हैं। सम्मानित अतिथि के रूप में उनके साथ मेजर जनरल राजपाल पुनिया, सामाजिक कार्यकर्ता चांदनी खान, दुनिया के सबसे तेज पियानोवादक डॉ. अमन बठला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक 95 वर्षीय भगवनी देवी डागर, प्रसिद्ध रैली ड्राइवर गौरव गिल और प्रसिद्ध डैनिक्स रंजीत सिंह शामिल हैं।

जूरी पैनल में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, नेता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं जो उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए एक साथ आए हैं। प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2023 में 150 से अधिक पुरस्कार श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें उन उद्यमियों, अग्रणी और दूरदर्शी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने हमारे देश के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

विविध श्रेणियों में बिजनेस ऑफ द ईयर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एफएंडबी, ग्राहक अनुभव, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी, परिधान और फैशन, उद्यमिता, फाइनेंस, हेल्थकेयर, वेलनेस और कई अन्य श्रेणियां शामिल हैं। यह कार्यक्रम असाधारण प्रतिभा और योगदान के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो हमारे देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहा है।

कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन लाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। संशोधन से ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सहमति के बाद रेसकोर्स और कैसीनो पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।

वाणिज्यिक कर आयुक्त सी शिखा के अनुसार, अनुमान है कि अतिरिक्त टैक्स लागू होने के बाद राज्य को 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के 1 अक्टूबर से टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद आया है। कर्नाटक सरकार ने अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है क्योंकि राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही है।

महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद कर्नाटक अध्यादेश जारी करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। हालांकि, नया कानून मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा और कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग में सट्टेबाजी को प्रतिबंधित या विनियमित नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त टैक्स लगाने से सट्टेबाजी को वैध नहीं बनाया जाएगा और सट्टेबाजी गतिविधियों के साथ आपराधिक गतिविधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के लिए विधानसभाओं में अध्यादेश पारित करने या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के पांच पन्ने के आदेश के खिलाफ 60 पन्ने का सिनॉप्सिस, सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पाँच पन्ने के आदेश के खिलाफ 60 पन्ने से अधिक का एक बड़ा सिनॉप्सिस दाखिल करने की अनुमति मांगने वाले एक वादी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता को धर्मार्थ कार्य करने वाली किसी भी संस्था को दान के माध्यम से 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक लंबी सिनॉप्सिस और तारीखों की सूची दाखिल करने की अनुमति मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 पन्ने से अधिक का सिनॉप्सिस मामले के तथ्यों के लिए अनावश्यक था, जब हाई कोर्ट का आदेश केवल पाँच पन्ने का था।

अदालत ने आदेश दिया, इसलिए, हम आवेदन को अस्वीकार करते हैं और ऐसा करते समय, हम याचिकाकर्ता को धर्मार्थ कार्य करने वाली किसी भी संस्था को दान के माध्यम से 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक रसीद पेश की जाए।

इससे पहले अगस्त में इसी पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में बड़े सिनॉप्सिस से बचा जाना चाहिए। पीठ की यह टिप्पणी एक अन्य मामले में थी जिसमें हाई कोर्ट के छह पन्ने के एक विवादित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में 27 पृष्ठ थे और 60 से अधिक पन्नों का सिनॉप्सिस था।

9 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की एक अदालत ने करीब दो साल पहले नौ साल के एक बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में एक युवक को मौत की सजा सुनाई। जिला सत्र अदालत ने एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक मंगा सागर को हत्या का दोषी पाया और उसे सजा-ए-मौत दी। सागर (25) ने 19 अक्टूबर 2020 को फिरौती के लिए कुसुम दीक्षित रेड्डी का अपहरण कर लिया था और कुछ घंटों बाद उसकी हत्या कर दी थी।

सागर ने पीड़ित की गला दबाकर हत्या कर दी थी और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी थी। स्थानीय पत्रकार रंजीत रेड्डी के बेटे दीक्षित रेड्डी का महबूबाबाद शहर में उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, चूंकि सागर रंजीत रेड्डी का परिचित था, इसलिए आरोपी के बुलाने पर लडक़ा उसके बुलाने पर चला गया। सागर लडक़े को अपनी बाइक पर बैठाकर एक पहाड़ी पर ले गया। तीन घंटे बाद उसने लडक़े को मार डाला। उसे डर था कि लडक़े को छोड़ देने पर वह उसकी पहचान उजागर कर देगा।

लडक़े की हत्या के बाद भी आरोपी ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए पीड़ित परिवार को वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्यम से कॉल करके 45 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

पत्नी की हत्या के आरोप में काटी 12 साल तक जेल, अब निर्दोष करार, मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की उम्रकैद की सजा को गलत करार दिया और 12 साल बाद उसे बरी कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर आरोपी आवेदक को 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है । हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कोर्ट ने कहा कि सबूतों से साबित होता है कि आरोपी की पत्नी ने आत्महत्या की थी। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी को खोया है, बल्कि सरकार द्वारा दायर एक गलत केस के कारण वह 12 साल और चार महीने तक अपने तीन छोटे बच्चों के साथ भी नहीं रह सके। न्यायाधीश पंकज भंडारी एवं भुवन गोयल ने यह आदेश अभियुक्त इकबाल की अपील को स्वीकार करते हुए दिया। मामले से जुड़े वकील राजेश गोस्वामी और निखिल शर्मा ने कहा- 13 मई 2011 को इकबाल की पत्नी की जलने से मौत हो गई थी।

पुलिस का आरोप है कि पति इकबाल ने ही पत्नी की हत्या की है। इस पर पुलिस ने इकबाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। घटना गलता गेट थाना क्षेत्र की है। 11 मई 2016 को जयपुर की महिला उत्पीडऩ मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पति ने निचली अदालत की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। निचली अदालत ने मृतक के 6 साल के बेटे की गवाही भी नहीं मानी। आरोपी के वकील निखिल शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उस डॉक्टर से पूछताछ नहीं की, जिसने महिला का इलाज किया था। आरोपी का पक्ष पूरा नहीं सुना गया।